ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अंजू कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मुनीश कुमार	01.04.2021 से 14.10.2022
2.	श्री राकेश कुमार	14.10.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	66.08
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.36
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.07
4)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	2.55
5)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.55
6)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती करना	0.23
7)	9.1	मनरेगा शीर्ष से अनियमित व्यय करना	0.02
8)	9.2	पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप अधिक भुगतान	0.02

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अशवनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 02.01.2024 से 06.01.2024 तक ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	06/2021	07/2021
2022-23	05/2022	06/2022

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2021-22	2112080	9256489	11368569	6567425	4801144
1	2022-23	4801144	12300640	17101784	10494045	6607739

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹38344/-** था:-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	6607739.00
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट क-1**)	**6645745.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्रोत व अनुदान)	200.00
4)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (प्लानिंग शीर्ष)	138.00
5)	**योग (2+3+4)**	**6646083.00**
6)	**अन्तर (5-1)**	**38344.00**

अंतर के कारण :-

1) दिनांक 01.10.22, 01.01.23 व 31.03.23 को **₹**11585, **₹**12420 व **₹**14575 कुल **₹**38580/- बैंक द्वारा 15वें वित्तायोग शीर्ष में ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |
2) दिनांक 09.11.21 को बैंक द्वारा **₹**236/- बैंक चार्जेज के रूप में काटे गये थे, जिसे दिनांक 31/03/23 तक रोकड़ बही के व्यय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |

कुल अंतर (38580-236)=38344/-

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2024 दिनांक 06/01/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित टकोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 309636 दिनांक 08/01/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4(क) वित्तीय स्थितिः-

सचिव, ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान छः रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), अनुदान (प्लानिंग शीर्ष), स्वच्छ भारत मिशन, 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB BANGANA (Planning)	20034045251	3997923.50
2	KCCB TAKOLI (Own &GIA)	20078007745	289306.00
3	KCCB TAKOLI (14th fc)	50067177582	374.50
4	HDFC BANGANA 15th fc	50100361824707	2358141.00
		योग	**6645745.00**
		हस्तगत राशि (Own & GIA)	200.00
		हस्तगत राशि (Planning)	138.00
		योग (1+2)	**6646083.00**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 38 दिनांक 06/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का

अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹66.08 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹6607739/- की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 38 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के

सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 38 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 38 दिनांक 06/01/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹35840/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	11200	11200	22400	0	22400
2022-23	22400	13440	35840	0	35840

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹7400/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2021-22	5000
2	2022-23	2400
	योग	**7400/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2024 दिनांक 04.01.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 40 दिनांक 06/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹2.55 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **₹254540/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19/2024 दिनांक 05.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा

पत्र संख्या 40 दिनांक 06/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी| अतः उक्त क्रय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	**मद**	**वाउचर संख्या**	**माह**	**विवरण**	**राशि(18% GST सहित)**
1	मनरेगा	1	07/21	3600 टाईल / पेवर @ 10.62/- प्रति टाईल	38232
2	मनरेगा	2	07/21	3600 टाईल / पेवर @ 10.62/- प्रति टाईल	38232
3	मनरेगा	3	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 10.62/- प्रति टाईल	42480
4	मनरेगा	4	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 10.62/- प्रति टाईल	42480
5	मनरेगा	5	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 10.62/- प्रति टाईल	42480
6	मनरेगा	6	07/21	1800 टाईल / पेवर @ 10.62/- प्रति टाईल	19116
7	मनरेगा	41	06/22	3200 टाईल / पेवर @ 9.85/- प्रति टाईल	31520
				कुल योग	**254540/-**

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹1.55 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 07/2021 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार ₹154719.75** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20/2024 दिनांक 06/01/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 06/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: ₹154719.75 के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.- अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2021 व 06/2022 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट-घ** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1144007/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹22880/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है :-

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	07/2021	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	रेत, बजरा, बजरी इत्यादि	295430	554620	11092 (2% x 554620)
	06/2022			259190		

2	07/2021	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत, बजरा, बजरी इत्यादि	589387	589387	11788 (2% x 589387)
				योग	**1144007**	**22880/-**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2024 दिनांक 05/01/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 40 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹22880/- जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹22880 की वसूली उचित स्रोत से करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹0.02 लाख का मनरेगा शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित मास 05/2022 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतू प्रयोग की गई निर्माण सामग्री रेत, बजरी इत्यादि के क्रय हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें फर्म महावीर स्टोन क्रेशर टकारला से बजरी हेतु **₹**262.5 प्रति टन (जी.एस.टी. सहित) की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी । परन्तु पंचायत द्वारा उक्त फर्म को **₹341.25** प्रति टन (जी.एस.टी. सहित) की दर से अर्थात् **₹78.75** प्रति टन की दर से अधिक भुगतान किया गया | इस प्रकार उक्त फर्म को **निम्न विवरनानुसार** ₹2205**/-** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2024 दिनांक 04/01/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 40 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करके राशि को मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 08.01.2024 व 09.01.2024 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि कर ली गई है |

क्रम संख्या	बिल संख्या	माह	मात्रा (टनो में)	भुगतान योग्य दर (₹) प्रति टन	भुगतान की गई दर (₹)	अन्तर	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	29909	05/2022	28	262.5	341.25	78.75	2205

9.2 पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा माह 07/21 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत ₹48500/- का पंचायत सदस्यों को पांच माह (फरवरी से जून) तक का मानदेय के रूप में भुगतान किया गया दर्शाया गया था, परन्तु मानदेय रजिस्टर एवं कार्यवाही रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 05/21 में कोई भी मासिक मीटिंग संचालित नहीं की गई थी, जबकि 4 वार्ड सदस्यों को **निम्न विवरणानुसार** ₹1750/- का अधिक भुगतान दर्शाया गया था, जोकि पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(3)20/95-III-40828-970 दिनांक 06.07.2019 की अवहेलना है | अत: इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14/2024 दिनांक 04/01/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 40 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹1750/- की वसूली रसीद संख्या 810680 से 810683 दिनांक 06/01/2024 द्वारा कर ली गई है | जिसके जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है।

क्रम संख्या	भुगतान माह	वार्ड सदस्य का नाम	दर प्रति मीटिंग	माह 05/21 की जितनी मीटिंग्स के लिए भुगतान किया गया	राशि
1	07/2021	श्री दिलबर सिंह	250	2	500
2	07/2021	श्री राहुल शर्मा	250	2	500
3	07/2021	श्रीमति हरविंदर कौर	250	1	250

4	07/2021	श्री हरमेश चन्द	250	2	500
				योग	**1750/-**

9.3 माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2021 व 06/2022 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम
1	अनुदान प्लानिंग शीर्ष	निर्माण सामुदायिक शेड वार्ड नंबर 3
2	मनरेगा	c/o LINK ROAD CHAPPRI TO SHAMSHANGHAT
3	मनरेगा	c/o LINK ROAD SITA RAM, RAMESH CHAND,ETC AMBEHRA RAMKISHNA
4	मनरेगा	c/o LINK ROAD BHODHU RAM SC AVADI
5	मनरेगा	NIRMAN PULLY JAISE RAM BIMLA USHA KEHAR KUHERA
6	मनरेगा	C/O LINK ROAD PULLI TO SUMNA KUMARI
7	मनरेगा	C/O LINK ROAD FROM MAIN ROAD TO VILL-PANDHARI
8	मनरेगा	C/O LINK ROAD BHAGNAL TO SATKUNDE -2, BHAGNAL
9	मनरेगा	C/O LINK ROAD SITA RAM TO BHODHU RAM
10	मनरेगा	C/O CHANALIZATION NALA NEAR AVADI ASHMEEL MHD.

11	मनरेगा	C/O CHANALIZATION NALA NEAR AVADI PREM ,RAJESH
12	मनरेगा	C/O CHANALIZATION NALA OM PARKASH,VIJAY KUMAR TO KISHAN etc „A-DHEERAJ
13	मनरेगा	C/O LINK ROAD RAM, RATTAN, PREM ETC
14	मनरेगा	C/O LINK ROAD AWADI HARIZAN BASTI, KUKHERA
15	मनरेगा	C/O LINK ROAD SOCIETY TO RAMANAND BRAHMANAND, JODHA
16	मनरेगा	C/O LINK ROAD MAIN ROAD TO DANGA DEV RAJ, DHIYAN
17	मनरेगा	C/O LINK ROAD DINA NATH HOUSE TO MOD,TIYAR
18	मनरेगा	C/O LINK ROAD PUNNU RAM TO JOGINDER, TARLOCHAN
19	मनरेगा	C/O LINK ROAD MAIN ROAD TO RAMESH, BHAGIRATH ,GULSHAN etc
20	मनरेगा	C/O LINK ROAD KRISHAN CATTLE SHED TO DARSHANA
21	मनरेगा	C/O LINK ROAD JAAN MOHD. H/O SATKUNDE etc
22	मनरेगा	C/O LINK ROAD MAN ROAD TO MANOHAR, DILBHAG etc
23	मनरेगा	C/O LINK ROAD PRITO, VIJAY etc amroh

24	मनरेगा	C/O LINK ROAD DESRAJ, PARSHOTAM TO MAIN ROAD etc
25	मनरेगा	R/O CHECK DAM RANVIR SINGH
26	मनरेगा	REN/O POND NEAR AMBEHRA CHOWK
27	मनरेगा	R/O POND NEAR JAGGAR NATH ETC.
28	मनरेगा	C/O CHANALIZATION NALA AVADI TIKRA TO TIRTH YASH PAL
29	मनरेगा	C/O CHANALIZATION NALA JAN MOHD. ASHMIL
30	मनरेगा	C/O LINK ROAD PULLI TO SUMNA KUMARI etc
31	मनरेगा	C/O LINK ROAD SHAKUNTLA DEVI
32	मनरेगा	NIRMAN LINK ROAD MAIN SADAK TO ANGANWARI NEAR SHIV MANDIR KUKTEDA RAJPITAN
33	मनरेगा	C/O LINK ROAD DES RAJ SURINDER SINGH JAGAT RAM, RANJIT SINGH ETC KUKHRU
34	मनरेगा	C/O TRACKING PATH IN PANCHVATI
35	मनरेगा	C/O LINK ROAD DANGA BALDEV JIWAN ETC AMBEHRA
36	मनरेगा	C/O NIRMAN LINK ROAD KISHORI LAL AJAY KEHAR ETC
37	मनरेगा	C/O LINK ROAD AJIT SINGH PERSHOTAM ANANT KISHORI ETC
38	मनरेगा	C/O LINK ROAD AUR DANGA JASPAL SINGH MALOOK ETC BAGNAAL

39	मनरेगा	C/O LINK ROAD/PATH RAMLOK ETC SC ABADI BAGNAL
40	मनरेगा	NIRMAN PULLY NAJDIK H/O DEENA NATH ETC
41		NIRMAN LINK ROAD SHAMSHAN GHAT AMBEHRA
42	मनरेगा	C/O LINK ROAD KISHAN PAL KULDEEP SINGH ETC AMBEHRA RAMKISHAN
43	मनरेगा	NIRMAAN PULLY HARJAN BASTI BRAHMAN DASS SANJIV DEV ETC KUKEHRA JATTAN
44	मनरेगा	NIRMAN LINK ROAD RAJKUMAR S/O KESRU RAM AMBEHRA DHEERAJ
45	मनरेगा	NIRMAN LINK ROAD AUR PULLY JAISE RAM RAVINDER ASHWANI KUHERA JATTAN
46	मनरेगा	NIRMAN LINK ROAD ABADI LOHERA SAI SHAMSHANGHAT AMBEHRA RAMKISHNA

उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15/2024 दिनांक 04/01/2024 व अनुस्मारक संख्या 17/2024 दिनांक 05/01/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 40/2024 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं खण्ड विकास कार्यालय बंगाणा में अनुरक्षित है, जिसे सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जाँच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06/2024 दिनांक 02.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 39 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	8	34
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2024 दिनांक 02.01.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 38 दिनांक 06/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया

गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

04 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

1141 — 1145 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)95 / 2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति

4,6.7
पैरा संख्या में सन्दर्भित परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	2112080	9256489	11368569	6567425	4801144
2	2022-23	4801144	12300640	17101784	10494045	6607739

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज
वि.ख.बगाणा जि. ऊना (हि.प्र

(18)

(21)
19

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	170539	279120	449659	234416	215243
2	2022-23	215243	295337	510580	221074	289506

अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	898852.5	3295210	4194062.5	1047658	3146404.5
2	2022-23	3146404.5	4137909	7284313.5	3286252	3998061.5

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
2	2022-23	0	268662	268662	268662	0

15वां वित्तायोग (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	807751	877940	1685691	246195	1439496
2	2022-23	1439496	1344537	2784033	464236	2319797

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज
वि.ख. हरोली जि. ऊना (हि.प्र.)

2022

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	4798853	4798853	4798853	0
2	2022-23	0	6253821	6253821	6253821	0

14वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	234937.5	5366	240303.5	240303	0.5
2	2022-23	0.5	374	374.5	0	374.5

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	6607739.00
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**6645745.00**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	200.00
4)		138.00
5)	**योग (2+3+4)**	**6646083.00**
6)	**अन्तर (5-1)**	**38344.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible] धीरज
[illegible]

24

22

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB BANGANA (Planning)	20034045251	3997923.50
	KCCB TAKOLI (Own &GIA)	20078007745	289306.00
	KCCB TAKOLI (14th fc)	50067177582	374.50
	HDFC BANGANA 15th fc	50100361824707	2358141.00
		योग	**6645745.00**
2		**हस्तगत राशि (Own & GIA)**	200.00
		हस्तगत राशि (Planning)	138.00
		योग (1+2)	**6646083.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित परिशिष्ट "ख"

ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज , विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	11200	11200	22400	0	22400
2022-23	22400	13440	35840	0	35840

पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित   परिशिष्ट 'ग'

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज विकास खंड बंगाना जिला ऊना HP

माह 07/21 व 06/22 में पंचायत द्वारा खरीदी गई रेत, बजरी इत्यादि का विवरण

क्र.स.	मद	कार्य का नाम	माह	बिल सं.	आपूर्ति कर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनो में)	रायल्टी दर (प्रति टन)	देय रायल्टी
1	मनरेगा	निर्माण वाटर टेंक साली ग्राम कुखेरा	Jul-21	56	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	5.6	1.62	9.072	60	544.32
2	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड क्रिशन केटल शेड से दर्शना अमरोह	Jul-21	49	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	6.4	1.62	10.368	60	622.08
						बजरी	9.2	1.52	13.984	60	839.04
						बजरी	22.4	1.52	34.048	60	2042.88
3	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेंन रोड मनोहर लाल दिलबाग सिंह कुखेड़ा राजपूता	Jul-21	38	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	18	1.62	29.16	60	1749.6
						बजरी	21	1.52	31.92	60	1915.2
						बजरी	21	1.52	31.92	60	1915.2
4	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेंन रोड मनोहर लाल दिलबाग सिंह कुखेड़ा राजपूता	Jul-21	39	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	21	1.62	34.02	60	2041.2
						बजरी	21	1.52	31.92	60	1915.2
						बजरी	19	1.52	28.88	60	1732.8
5	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेंन रोड मनोहर लाल दिलबाग सिंह कुखेड़ा राजपूता	Jul-21	40	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	33.6	1.62	54.432	60	3265.92
						बजरी	5	1.52	7.6	60	456
6	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेंन रोड मनोहर लाल दिलबाग सिंह कुखेड़ा राजपूता	Jul-21	41	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	33.6	1.52	51.072	60	3064.32
7	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड प्रीतो,विजय,पवन etcअमरोह	Jul-21	43	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	9	1.62	14.58	60	874.8
						बजरी	12.6	1.52	19.152	60	1149.12
						बजरी	10	1.52	15.2	60	912
						रेत	8.4	1.62	13.608	60	816.48
8	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड आबादी हरिजन बस्ती कुखेड़ा	Jul-21	50	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	11.5	1.62	18.63	60	1117.8
						बजरी	22.4	1.52	34.048	60	2042.88

9	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड राम, रतन, प्रेम अमरोह	Jul-21	46	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	42	1.62	68.04	60	4082.4
						बजरी	5.2	1.52	7.904	60	474.24
						बजरी	5.2	1.52	7.904	60	474.24
10	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड राम, रतन, प्रेम अमरोह	Jul-21	47	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	45.6	1.52	69.312	60	4158.72
11	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड राम, रतन, प्रेम अमरोह	Jul-21	48	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	5.6	1.52	8.512	60	510.72
12	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से रमेश ,भागीरथ गुलशन आदि अमरोह	Jul-21	51	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	26	1.52	39.52	60	2371.2
						बजरी	31.6	1.52	48.032	60	2881.92
13	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से रमेश ,भागीरथ गुलशन आदि अमरोह	Jul-21	52	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	8.4	1.52	12.768	60	766.08
						रेत	21.2	1.62	34.344	60	2060.64
14	मनरेगा	निर्माण चेनेलाइजेशन नाला आबादी प्रेम राजेश अटया	Jul-21	45	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	22.4	1.52	34.048	60	2042.88
						रेत	8.2	1.62	13.284	60	797.04
15	मनरेगा	निर्माण RHW GPS अमरोह	Jul-21	55	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	8.4	1.52	12.768	60	766.08
						रेत	8.4	1.62	13.608	60	816.48
16	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड जान मुहम्मद से सत्कुंडे बग्राल	Jul-21	25	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	बजरी	26	1.52	39.52	60	2371.2
						रेत	20	1.62	32.4	60	1944
17	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड जान मुहम्मद से सत्कुंडे बग्राल	Jul-21	26	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	बजरी	36	1.52	54.72	60	3283.2
						बजरी	16	1.52	24.32	60	1459.2
18	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड जान मुहम्मद से सत्कुंडे बग्राल	Jul-21	40	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	रेत	17	1.62	27.54	60	1652.4
19	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड जान मुहम्मद से सत्कुंडे बग्राल	Jul-21	41	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	बजरी	41	1.52	62.32	60	3739.2

20	मनरेगा	निर्माण चेनेलाइजेशन नाला आबादी प्रकाश विजय से किशन आदि	Jul-21	37	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	बजरी	16	1.52	24.32	60	1459.2
						बजरी	6	1.52	9.12	60	547.2
						रेत	16	1.62	25.92	60	1555.2
21	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड सोसाइटी से रामानंद ,जोधा अम्बेडा	Jul-21	36	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	बजरी	18	1.52	27.36	60	1641.6
						बजरी	6	1.52	9.12	60	547.2
						रेत	11	1.62	17.82	60	1069.2
22	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड सोसाइटी से रामानंद ,जोधा अम्बेडा	Jul-21	39	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	रेत	8	1.62	12.96	60	777.6
23	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड दीना नाथ से	Jul-21	57	करन सिंह चौहान	रेत	30	1.62	48.6	60	2916
24	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड दीना नाथ से	Jul-21	58	करन सिंह चौहान	बजरी	26	1.52	39.52	60	2371.2
25	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड दीना नाथ से मोड़ तयार	Jul-21	59	करन सिंह चौहान	बजरी	6	1.52	9.12	60	547.2
						रेत	8	1.62	12.96	60	777.6
26	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड पुन्नू राम आदि	Jul-21	64	देस राज	रेत	18	1.62	29.16	60	1749.6
27	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड पुन्नू राम आदि	Jul-21	60	देस राज	बजरी	34	1.52	51.68	60	3100.8
28	मनरेगा	निर्माण खेलमैदान NYK अम्बेह्डा रामकिशन	Jul-21	171	सुभाष चन्द	बजरी	6	1.52	9.12	60	547.2
						रेत	4	1.62	6.48	60	388.8
29	मनरेगा	निर्माण मेन रोड से धियान चन्द आदि अम्बेह्डा राम किशन	Jul-21	179	सुभाष चन्द	बजरी	8	1.52	12.16	60	729.6
						रेत	5	1.62	8.1	60	486
						रेत	1	1.62	1.62	60	97.2
						बजरी	6	1.52	9.12	60	547.2
30	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड परषोत्तम आदि से रोड अम्बेह्दा	Jul-21	167	सुभाष चन्द	बजरी	12	1.52	18.24	60	1094.4
						रेत	18	1.62	29.16	60	1749.6
						बजरी	6	1.52	9.12	60	547.2
31	मनरेगा	RENO/0 तालाब नजदीक अम्बेह्डा चौक	Jul-21	177	सुभाष चन्द	बजरी	3	1.52	4.56	60	273.6
						रेत	7	1.62	11.34	60	680.4

~~27~~ 29

						बजरी	27	1.52	41.04	60	2462.4
32		निर्माण चेनेलाइजेशन नाला किशोरी लाल	Jul-21	185	सुभाष चन्द	रेत	15	1.62	24.3	60	1458
						बजरी	20	1.52	30.4	60	1824
33	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड पुली से सुमना कुमारी	Jul-21	79	करन सिंह चौहान	बजरी	5	1.52	7.6	60	456
34	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड छापड़ी से शमशान घाट	Jul-21	71	करन सिंह चौहान	बजरी	25	1.52	38	60	2280
						रेत	20	1.62	32.4	60	1944
35			Jul-21	74	करन सिंह चौहान	बजरी	25	1.52	38	60	2280
36			Jul-21	75	करन सिंह चौहान	रेत	15	1.62	24.3	60	1458
						बजरी	23	1.52	34.96	60	2097.6
37			Jul-21	72	करन सिंह चौहान	रेत	20	1.62	32.4	60	1944
						बजरी	25	1.52	38	60	2280
38	मनरेगा	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से पंढारी के घर तक	Jul-21	85	देस राज	रेत	17	1.62	27.54	60	1652.4
39			Jul-21	81	देस राज	रेत	15	1.62	24.3	60	1458
						बजरी	20	1.52	30.4	60	1824
40			Jul-21	82	देसराज	बजरी	20	1.52	30.4	60	1824
42	मनरेगा	निर्माण चेनेलाइजेशन नाला आवादी प्रेम, राजेश	Jul-21	45	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	बजरी	22.4	1.52	34.048	60	2042.88
43	मनरेगा	निर्माण चेनेलाइजेशन नाला ओम प्रकाश	Jul-21	37	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	रेत	8.2	1.62	13.284	60	797.04
										योग	123775.8
										पेनल्टी 25%	30943.95
										कुल योग	154719.75

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

पैरा संख्या 8.3. में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ध'

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज विकास खंड बंगाना जिला ऊना HP

माह 07/21 में बलवान सिंह को किया गया भुगतान निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल सं./दिनांक	राशि
1	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	916	Jul-21	025 /12-02-21	48900
2	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	917	Jul-21	026/12-02-21	49400
3	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	918	Jul-21	032/12-2-21	32600
4	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	919	Jul-21	40 /27-12-20	19750
5	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	920	Jul-21	041 /27-12-20	38950
6	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	922	Jul-21	037/12-02-21	39300
7	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	923	Jul-21	036 /12-12-20	35450
8	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	924	Jul-21	039 /12-12-20	31080
				योग	295430
				2% जी.एस.टी.टी.डी.एस की कटौती	5908.6

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज विकास खंड बंगाना जिला ऊना HP

माह 06/22 में बलवान सिंह को किया गया भुगतान निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल सं./दिनांक	राशि
1	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	363	Jun-22	138/14-11-21	15640
2	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	362	Jun-22	137/14-11-21	35610
3	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	361	Jun-22	130/14-11-21	7000
4	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	360	Jun-22	129/23-10-21	19600
5	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	358	Jun-22	127/18-10-21	42500
6	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	357	Jun-22	126/18-10-21	9800
7	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	356	Jun-22	143/10-12-21	24920
8	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	355	Jun-22	142/25-11-21	5600
9	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	354	Jun-22	141/16-11-21	9800
10	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	353	Jun-22	140/5-11-21	16800
11	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	352	Jun-22	139 /29-10-21	16800
12	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	359	Jun-22	139 /29-10-21	16800
13	बलवान सिंह पुत्र रमेश चन्द	493	Jun-22	115 /15-10-21	38320
				योग	259190
				2% जी.एस.टी.टी.डी.एस की कटौती	5183.8

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.

-32-
30

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बेहडा धीरज विकास खंड बंगाना जिला ऊना HP					
माह 07/21 में राजेश कुमार को किया गया भुगतान निम्नलिखित प्रकार से है:-					
क्र.स.	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल सं./दिनांक	राशि
1	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	898	21-Jul	049/12-12-20	46414
2	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	899	21-Jul	038/12-12-20	48960
3	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	900	21-Jul	039/12-12-20	49755
4	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	901	21-Jul	040/12-12-20	47631
5	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	902	21-Jul	041/12-12-20	44994
6	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	904	21-Jul	043/12-12-20	32196
7	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	905	21-Jul	044/12-12-20	21100
8	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	906	21-Jul	056/12-12-20	13085
9	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	907	21-Jul	50/12-12-20	28786
10	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	908	21-Jul	046/12-12-20	44258
11	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	909	21-Jul	047/12-12-20	48224
12	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	910	21-Jul	048/12-12-20	28752
13	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	911	21-Jul	051/12-12-20	45662
14	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	912	21-Jul	052/12-12-20	34125
15	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	914	21-Jul	045/12-12-20	33110
16	राजेश कुमार पुत्र मंगत राम	915	21-Jul	055/12-12-20	22335
				योग	589387
				2% जी.एस.टी.टी.डी.एस की कटौती	11787.74

Total = 5908.6 + 5183.8 + 11787.7 = 22880/-

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज
वि.ख.बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र

-33-
31